न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 283/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र रामकरण उर्फ करण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी कानसर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. हेतराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांक: 03/02/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 483 के ख.न. 846 की 19 बीघा ख.न. 847 की 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि ख.न. 1046 की 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि ख.न. 1052 की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि कुल 33 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा कानसर तहसील नोहर की उक्त भूमि में से ख.न. 1046 की 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि ख.न. 1052 की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि कुल 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि से हरचन्द पुत्र श्रीराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर से सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 के पिता रामकरण वल्द रामचन्द्र जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर ने दिनांक 09/5/1980 को बैयनामा करवा दिया तथा कब्जा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 के पिता को सम्भला दिया तब से लेकर आजतक कब्जा काश्त में सायल के पिता तत्पश्चात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 का चला आ रही है तथा मुताबिक वैयनामा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिकीदगण सं. 5 ता 11 के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:15:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 के पिता व तत्पश्चात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिकीदगण सं. 5 ता 11 के कब्जा काश्त में खरीद के वक्त सन् 1980 से लेकर आज तक बदस्तुर चली आ रही है। सायल के पिता अनपढ़ काश्तकार थे बैयनामा अपने पक्ष में करवाकर पटवार हल्का को कागज दे दिया तथा तत्पश्चात उन्होने कभी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि के कागजात सभाले नही बल्कि भूमि पर हमेशा से काबिज रहे है सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवीदगण सं. 5 ता 11 को वाद भूमि पर कृषि ऋण की आवश्यकता भूमि सुधार कार्य के लिए हुई तब सायल ने जमाबन्दी हाल रोही मौजा कानसर की प्रति ली जिसमें रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 767/748 के ख.न. 1046 की 2.3270 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 1052 की 0.7710 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 3.0980 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 1 व 2 ने अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा रखी है जो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिकीदगण सं. 5 ता 11 के हक हकुक के मुकाबले शुन्य है तथाकथित किसी दस्तावेज से यदि उक्त भूमि गैरसायलान सं. 1 व 2 ने अपने नाम करवाई है तो वह दस्तावेज सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिकीदगण सं. 5 ता 11 के पिता के पक्ष में बैयनामा दिनांक 09/5/1980 के रहते शुन्य दस्तावेज है सायल गैरसायलान सं. 1 ता 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वाद भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवीदगण सं. 5 ता 11 सयुक्ततः ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने पाने के अधिकारी है। सायल की उक्त भूमि पर गैरसायल सं. 4 ने कृषि ऋण स्वीकृत गैरसायल सं. 2 के पक्ष में कर रखा है जो कतई गलत तरीके से गैरसायल सं. 2 ने तथ्यों की वास्तविकता को छुपाते हुऐ जारी करा रखा है सायल उक्त भूमि को गैरसायलान सं. 2 व 4 से ऋण मुक्त करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम अनुचित तरीके से रहने का फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र रहन / वैय करने पर आमादा है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 वाद भूमि की सींव के चारो और गेड़े लगा रहे है तथा यदि गैरसायलान सं. 1 व 2 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए सायल व गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का मजाज है कि गैरसायलान सं. 1 व 2 वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 767/748 के ख.न. 1046 की 2. 3270 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 1052 की 0. 7710 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरेजात की 3.0980 हैक्टर भूमि को गैरसायलान सं. 1 व 2 रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। एवं सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर की उक्त भूमि में से ख.न. 1046 की 9 बीघा 4 बिस्वा [illegible] 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि कुल 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि से हरचन्द पुत्र श्री[illegible] कानसर तहसील नोहर से सायल व दावा में दर्ज तरतीबी [illegible] के पिता रामकरण वल्द रामचन्द्र जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर ने दिनांक [illegible]/5/1980 को बैयनामा करवा दिया तथा कब्जा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 के पिता को सम्भला दिया तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

से लेकर आजतक कब्जा काश्त में सायल के पिता तत्पश्चात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 का चला आ रही है तथा मुताबिक बैयनामा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 11 के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का पिता अनपढ़ व्यक्ति था एवं बैयनामा पटवारी को दे दिया। प्रार्थी को कृषि त्रण की आवश्यकता हुई तब पता चला की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज है जबकि कब्जा प्रार्थी का है। अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम भूमि अनुचित तरीके से दर्ज है एवं अप्रार्थी स0 1 ता 2 भूमि के मौका व रिकार्ड की स्थिति बदलना चाहते हैं। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक हरचन्द पुत्र रामकरण से प्रार्थी के तिपा रामकरण द्वारा 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि 09.05.1980 को खरीद की गई थी। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा 1980 के बैयनामा बाबत करीबन 43 वर्ष ऐतराज जाहिर किया गया है एवं अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम भूमि दर्ज कैसे दर्ज हुई है का भी साक्ष्य पेश नही किया है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:15:30 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर